



E-Mail: reliefbhilwara1234@gmail.com

राजस्थान सरकार

**आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, भीलवाड़ा**

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/Restoration/19533635 दिनांक: 23/12/2025

संयुक्त शासन सचिव,

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,

जयपुर

**विषय :-** एसडीआरएफ मद में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पत्तियों (सड़क) की तात्कालिक मरम्मत के कार्यों के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए बजट डिमाण्ड के क्रम में।

**प्रसंग :-** आपका पत्रांक 14545448 दिनांक 03.04.2025, पत्र दिनांक 14.07.2025 एवं पत्रांक 19137915 दिनांक 02.12.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु विभाग द्वारा जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 206/2025-26 के क्रम में राशि 5756000/- रुपये की निम्नानुसार बजट डिमाण्ड की जानी है, बजट उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

प्रारूप (बजट डिमाण्ड)

गतिविधि/आपदा/खराबे का विवरण – मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पत्तियों (सड़क) की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान

| क्र. सं. | मद/गतिविधि के लिये संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या                                                                       | मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की |          | मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की |           | मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                   | संख्या                                                     | राशि रु. | संख्या                                        | राशि रु.  | संख्या                              | राशि रु. |
| 0        | 1                                                                                                                                 | 2                                                          | 3        | 4                                             | 5         | 6                                   | 7        |
| 01       | मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान (कुल कार्य 22) | -                                                          | -        | -                                             | 5756000/- | -                                   | -        |

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

**Signature valid**

Digitally signed by Rajkaj Singh Godara

Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate

Date: 2025.12.23 10:17:08 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

19533635

eSign 1.0





## राजस्थान सरकार

## आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांक : जिआप्रप्रा / SDRF / Restoration / 2025-26 /

दिनांक: / / 2025

## --: प्रशासनिक स्वीकृति ::--

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 18394555 दिनांक 30.10.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक एफ.8(38)आ.प्र. एवं सहा. /बाढ़/प्रस्ताव/2025/19137915 दिनांक 02.12.2025 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 206/2025-26 प्राप्त हो चुकी है। उक्त स्वीकृति की पालना में मानसून सत्र 2025 के दौरान अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार हैं -

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का विवरण

| क्र. स. | कार्यकारी एजेन्सी का नाम               | डिवीजन का नाम | ब्लॉक    | रोड की संख्या | रोड की लम्बाई (कि. मी. में) | राशि (लाखों में) |
|---------|----------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 1       | सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, भीलवाड़ा | माण्डलगढ      | बिजौलिया | 22            | 80.60                       | 57.56            |
| योग     |                                        |               |          | 22            | 80.60                       | 57.56            |

अक्षरे रुपये सतावन लाख छप्पन हजार मात्र

राज्य सरकार से निम्न बजट मद में बजट प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

बजट मद—

- 2245— प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
02— बाढचक्रवात आदि  
106— खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
08— (बाढ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)  
01— सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)

इस राशि का उपयोग निम्न शर्तों की अक्षरशः पालना के पश्चात् किया जायेगा :-

- विभाग द्वारा Per Km दर से राशि का निर्धारण SDRF नॉर्म्स अनुसार किया गया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
- बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर इस कार्यालय स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- वे सड़के जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है। अतः इसकी सुनिश्चितता की जावे।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे SDRF में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- इस कार्यालय से बजट की मांग किए जाने से पूर्व बजट SDRF नार्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि की गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जावे। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जावे।
- कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वीकृत कार्यों को कार्य प्रारम्भ की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके। कार्य प्रारम्भ की दिनांक से इस कार्यालय को अवगत करावे।

RajKaj Ref No.: 19429797



Signature valid

Digitally signed by Jasmeet Singh

Sandhu

Designation : Collector &amp; District Magistrate

Date: 2025.12.17 15:31:45 IST

Reason: Approved

- (vii) उपखण्ड स्तरीय समिति से यह प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है एवं समस्त कार्य SDRF मापदण्ड व प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- (viii) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें।
- (ix) क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- (x) कार्य पूर्ण होने के पूर्व तथा पश्चात् के GPS फोटोग्राफ अधीक्षण अभियन्ता सर्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीलवाड़ा द्वारा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे जावे।
- (xi) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
- (xii) वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी एजेंसी की होगी।
- (xiii) परिसम्पत्तियों का तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान ही किया जाना है, न कि नया निर्माण।
- (xiv) कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
- (xv) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
- (xvi) इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति जारी कर अपेक्षित बजट मांग इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- (xvii) श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 8(01)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
- (xviii) श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 8(38)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ 17946937 दिनांक 24.09.2025 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अक्षरशः पालना की जावें।

(जसमीत सिंह संधू)  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

01. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करा तत्काल इस कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करावें।
06. उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ एवं बिजौलिया को पालनार्थ।
07. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड माण्डलगढ को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
08. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

**Signature valid**

Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu  
Designation : Collector & District Magistrate  
Date: 2025.12.17 15:31:45 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
19429797